भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *215

दिनांक 19 दिसंबर 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए
ओडिशा से किए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा देना

***215 श्री शुभाशीष खुंटिया:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पारादीप और धामरा में निर्यात अवसंरचना का विस्तार करने का विचार रखती है;

(ख) एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत ओडिशा राज्य से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएँ कौन-कौन सी हैं:

(ग) पुरी, कटक, भुवनेश्वर और बालासोर जैसे जिलों के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के निर्यातकों को कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) ओडिशा के विशिष्ट उत्पादों के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) को बढ़ावा दिए जाने की स्थिति क्या है; और

(ङ) ओडिशा के और अधिक जिलों को 'निर्यात केन्द्र के रूप में जिले' पहल में शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

श्री शुभाशीष खुंटिया द्वारा "ओडिशा से किए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा देना" के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.12.2025 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *215 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

(क): पारादीप बंदरगाह ओडिशा राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण ने बताया है कि पिछले 5 वर्षों में बंदरगाह की क्षमता पहले ही 55 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ा दी गई है और अब यह क्षमता 289 मिलियन टन प्रति वर्ष है। साथ ही, 25 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता वाले एक नए डॉक कॉम्प्लेक्स, अर्थात् वेस्टर्न डॉक का विकास कार्य चल रहा है और इसके वर्ष 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह भी बताया गया है कि आगामी नियोजित परियोजनाओं के आधार पर, बंदरगाह की क्षमता वर्ष 2030 तक 350 मिलियन टन प्रति वर्ष से अधिक हो जाएगी। प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाह (गैर-प्रमुख बंदरगाह) राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं। धामरा ओडिशा राज्य का एक कार्यरत गैर-प्रमुख बंदरगाह है।

(ख): 'एक जिला एक उत्पाद' (ओडीपीओपी) उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले से कम से कम एक उत्पाद का चयन, ब्रांडिंग और उसे बढ़ावा देना है ताकि सभी क्षेत्रों में समग्र विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ओडिशा राज्य ने राज्य के 30 जिलों से 56 उत्पादों की पहचान की है। ये 56 उत्पाद सात अलग-अलग क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, जैसे कृषि (23); खाद्य प्रसंस्करण (1); हस्तशिल्प (17); हथकरघा (5); विनिर्माण (3); समुद्री (6) और वस्त्र (1)। ओडिशा राज्य ने सूचित किया है कि समुद्री उत्पाद, हथकरघा एवं सूती उत्पाद, हस्तशिल्प उत्पाद, चावल, ग्रेनाइट उत्पाद, एल्युमीनियम इंगोट और काजू ओडिशा से ओडीपी के अंतर्गत प्रमुख निर्यात योग्य वस्तुएं हैं।

(ग): भारत सरकार ने देश भर में लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों के लिए कई कदम उठाए हैं। जिनमें पुरी, कटक, भुवनेश्वर और बालासोर जैसे जिले शामिल हैं। सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को प्रदान किए गए व्यापक समर्थन का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ): भौगोलिक संकेत (जीआई) उत्पादों का पंजीकरण और अनुमोदन भौगोलिक संकेत वस्तु (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) भौगोलिक संकेत (जीआई) को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से बढ़ावा देता है, न कि राज्य-वार। सरकार भारतीय जीआई उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बढ़ाने के लिए कई पहल कर रही है। जीआई सुरक्षा एवं मान्यता प्रावधानों को चल रही व्यापार वार्ताओं में शामिल किया जा रहा है, और जीआई उत्पादकों को बर्मिंघम शरद मेला और बर्लिन बाजार जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए सहायता दी जा रही है। उपभोक्ताओं में जागरूकता बढ़ाने और ब्रांड बनाने के लिए कई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से छोटी प्रचारात्मक फिल्में बनाई गई हैं और प्रसारित की गई हैं। जीआई उत्पादों को जीआरएटीके राजनयिक सम्मेलन जैसे मंचों पर भी प्रदर्शित किया जाता है, और 419 जीआई की डिजिटल सूची विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को वितरित की गई है। ओडिशा राज्य से पंजीकृत जीआई-टैग उत्पादों की कुल संख्या 26 है, जिसका विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

एपीईडीए (कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) ने ओडिशा से एपीईडीए द्वारा निर्धारित जीआई-टैग वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। वर्ष 2025-26 के

दौरान (अब तक) निर्यातकों को वैश्विक बाजार में जीआई उत्पादों सहित विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु पंद्रह (15) निर्यात-उन्मुख क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, जीआई-टैग वाले उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, एपीईडीए ने हाल ही में जीआई-टैग वाले नयागढ़ कांटेइमुंडी बैंगन और ओडिशा खजूरी गुड़ा के यूएई को निर्यात को सुगम बनाया है।

(ड.): ज़िला निर्यात केंद्र (डीईएच) पहल के तहत, वाणिज्य विभाग के विदेश व्यापार महानिदेशालय का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत मिशन, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड और वोकल फॉर लोकल के अनुरूप, राज्यों और ज़िलों को महत्वपूर्ण हितधारकों के रूप में शामिल करके जमीनी स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन, विनिर्माण और रोजगार सृजन करना है। डीईएच को अगस्त 2019 में शुरू किया गया था और इसे विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के अध्याय 3 के तहत अधिसूचित किया गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक ज़िले की क्षमता और विविधतापूर्ण पहचान का उपयोग करके संस्थागत तंत्र जैसे राज्य निर्यात संवर्धन समितियों (एसईपीसी) और ज़िला निर्यात संवर्धन समितियों (डीईपीसी) के माध्यम से पहचाने गए माल और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना है, जो निर्यात संवर्धन का समर्थन करते हैं और देश भर में संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए बाधाओं को दूर करते हैं। डीईएच के तहत, निम्नलिखित कार्य किए गए हैं: (i) देश भर के 734 जिलों में निर्यात क्षमता वाले उत्पादों/सेवाओं की पहचान की गई है (ओडिशा राज्य में डीईएच के तहत पहचाने गए उत्पादों/सेवाओं की सूची **अनुलग्नक-III** में दी गई है); (ii) सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में एसईपीसी और डीईपीसी का गठन किया जा चुका है; (iii) 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य निर्यात रणनीति तैयार की गई है; (iv) 701 जिलों में डीईपीसी की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं; (v) 590 जिलों के लिए जिला निर्यात कार्य योजनाएं तैयार की गई हैं, जिनमें से 249 जिलों को डीईपीसी द्वारा औपचारिक रूप से अधिसूचित किया गया है। इन योजनाओं में जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक रणनीति शामिल है।

श्री शुभाशीष खुंटिया द्वारा "ओडिशा से किए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा देना" के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.12.2025 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *215 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

अनुलग्नक-I

सरकार द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यातकों को प्रदान की गई सहायता का विवरण

(1) केंद्र सरकार ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) शुरू की है। इसके अंतर्गत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन्स (एमएलआई) को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा। इससे एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएँ प्रदान की जा सकेंगी। इससे तरलता में वृद्धि होगी, सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित होगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत की प्रगति को बल मिलेगा।

(2) केंद्र सरकार ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को भी मंज़ूरी दे दी है—यह एक प्रमुख पहल हैं जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करने के लिए की गई थी, विशेष रूप से एमएसएमई, प्रथमागत निर्यातक और श्रम-गहन क्षेत्रों के लिए। यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित फ्रेमवर्क प्रदान करेगा। ईपीएम कई खंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूली तंत्र की ओर एक कार्यनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती अपेक्षाओं पर शीघ्रतापूर्ण प्रतिक्रिया दे सकता है।

(3) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के अंतर्गत, विदेशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में एमएसएमई के दौरे/भागीदारी को सुविधाजनक बनाने और प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, संयुक्त उद्यम आदि के उद्देश्य से भारत में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनार/कार्यशालाओं के आयोजन के लिए पात्र केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों और उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, पहली बार सूक्ष्म और लघु निर्यातकों को निर्यात शिपमेंट पर निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और निर्यात के लिए परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन पर हुए लागतों की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। एमएसएमई मंत्रालय ने इन क्रियाकलापों की प्रतिपूर्ति के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में 21 ईपीसी, निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड (ईसीजीसी) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने क्षेत्रीय संगठनों नामत: एमएसएमई-विकास और सुविधा कार्यालयों, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों और एमएसएमई परीक्षण केंद्रों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित करके एमएसएमई क्षेत्र में निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक समर्पित सहायता प्रणाली विकसित की है।

ओडिशा में, कटक स्थित एमएसएमई-डीएफओ और भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर (सीटीटीसी) पर दो ईएफसी स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से वर्ष 2019-20 से 2024-25 के दौरान कुल 253 एमएसएमई ने सेवाओं का लाभ उठाया है।

(4) डीपीआईआईटी द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के अंतर्गत, राज्य एसपीवी, एमएसएमई सहित निवेशकों के लिए अनुकूल राजकोषीय और नीतिगत उपायों का अनुपालन करते हुए, भूमि आवंटन नीति के अनुसार भूमि आवंटित करते हैं। एसपीवी द्वारा संभावित निवेशकों (एमएसएमई सहित) को कई छूट भी दी जाती हैं, जिनमें एंकर/अर्ली-बर्ड निवेशकों को छूट; लीज़ प्रीमियम भुगतान में लचीलापन; डिफरेंशियल लीज़ अवधि का विकल्प आदि शामिल हैं।

(5) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) विशिष्ट मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी विकास (टीडीएसवीएमपी) योजना के माध्यम से एमएसएमई निर्यातकों को समुद्री खाद्य मूल्यवर्धन अवसंरचना में निवेश में सहायता प्रदान करता है, जो एमएसएमई इकाइयों को प्राथमिकता के साथ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, समुद्री खाद्य प्रसंस्करण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करता है और भारत से मूल्यवर्धित समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करता है।

(6) भारत ट्रेड नेट (बीटीएन), जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025 में की गई थी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत डीजीएफटी द्वारा एक प्रमुख डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना है। इसका उद्देश्य व्यापार दस्तावेजों का डिजिटलीकरण, निर्यात वित्त तक पहुँच में सुधार और भारत के व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को वैश्विक मानकों के साथ एकीकृत करना है। यह पहल सरल, कागज़ रहित दस्तावेज़ीकरण को सक्षम बनाकर, अनुपालन बोझ को कम करके और वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त तेज़, सुरक्षित व्यापार लेनदेन को सुगम बनाकर एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती है। इससे निर्यात वित्त तक आसान पहुँच मिलती है और एमएसएमई को व्यापार की बाधाओं को अधिक कुशलता से दूर करने में मदद मिलती है।

(7) जिलों को निर्यात केंद्र (डीईएच) और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र (ईसीईएच) जैसे जमीनी स्तर के कार्यक्रमों की शुरूआत से एमएसएमई, स्टार्ट-अप और कारीगरों को कम लागत पर और सरल निर्यात प्रक्रियाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलती है।

(8) राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और पीएम गति शक्ति के माध्यम से अवसंरचना को मजबूत करने से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ती है और लॉजिस्टिक्स लागत कम होती है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को कम करके एमएसएमई निर्यातकों को सीधे लाभ होता है।

(9) वाणिज्य विभाग के अधीन **भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड** (ईसीजीसी), जो एक निर्यात ऋण एजेंसी है, वाणिज्यिक और राजनीतिक कारणों से विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न किए जाने के जोखिमों के विरूद्ध निर्यातकों को ऋण बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), को वैश्विक बाजारों में आत्मविश्वास के साथ प्रवेश करने की शक्ति मिलती है। ईसीजीसी निर्यातक-ऋणकर्ताओं को निर्यात ऋण देने में जोखिमों के विरूद्ध बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) भी प्रदान करती है। ईसीआईबी निर्यातकों को किफायती और पर्याप्त ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाते हैं। कंपनी का मुख्यालय मुंबई में है और इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय है और संपूर्ण भारत में 46 शाखा कार्यालय हैं, जिनमें से एक भुवनेश्वर में है जो ओडिशा में निर्यातकों और बैंकों के लिए स्थानीय संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करता है। भारत की निर्यात गति को बनाए रखने और भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई, को सहयोग प्रदान करने के लिए, ईसीजीसी ने कई पहलें की हैं।

(10) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश में नए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/ उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने हेतु एक केंद्र प्रायोजित स्कीम " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) योजना" का कार्यान्वयन कर रहा है। यह योजना 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक परिचालित है। पीएमएफएमई योजना को सूक्ष्म उद्यमों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना और इस क्षेत्र के उन्नयन को प्रोत्साहित करना है। यह योजना पात्र परियोजना लागत के 35% तक ऋण-लिंक्ड अनुदान, 40,000 रुपये तक की प्रारंभिक पूंजी, लाभार्थियों के लिए क्षमता निर्माण और इकाइयों के उन्नयन के लिए हैंडहोल्डिंग सहायता प्रदान करती है। ओडिशा राज्य में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 2726 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पुरी में 309, ऋण, कटक में 246 ऋण, भुवनेश्वर में 258 ऋण और बालासोर में 160 ऋण शामिल हैं।

श्री शुभाशीष खुंटिया द्वारा "ओडिशा से किए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा देना '' के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.12.2025 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *215 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अनुलग्नक-II

ओडिशा राज्य से पंजीकृत जीआई-टैग उत्पादों का विवरण

क्र. सं.	भौगोलिक संकेत	वस्तु	भौगोलिक क्षेत्र
1	कोटपाड़ हथकरघा कपड़ा	हस्तशिल्प	ओडिशा
2	उड़ीसा इकत	हस्तशिल्प	ओडिशा
3	पिपली एप्लिक वर्क	हस्तशिल्प	ओडिशा
4	कोणार्क पत्थर पर नक्काशी (लोगो)	हस्तशिल्प	ओडिशा
5	उड़ीसा पट्टचित्रा	हस्तशिल्प	ओडिशा
6	खंडुआ साड़ी और कपड़े	हस्तशिल्प	ओडिशा
7	गोपालपुर टसर फैब्रिक्स	हस्तशिल्प	ओडिशा
8	धलापत्थर पर्दा और कपड़े	हस्तशिल्प	ओडिशा
9	संबलपुरी बंधा साड़ी और कपड़े	हस्तशिल्प	ओडिशा
10	बोमकाई साड़ी और कपड़े	हस्तशिल्प	ओडिशा
11	हबसपुरी साड़ी और कपड़े	हस्तशिल्प	ओडिशा
12	बेरहामपुर पट्टा (फोडा कुम्भा) साड़ी और जोड़ा	हस्तशिल्प	ओडिशा
13	गंजम केवड़ा रूह	निर्मित	ओडिशा
14	गंजम केवड़ा फूल	कृषि	ओडिशा
15	उड़ीसा पट्टचित्र (लोगो)	हस्तशिल्प	ओडिशा
16	कंधमाल हल्दी	कृषि	ओडिशा
17	ओडिशा रसगुल्ला	खाद्य सामग्री	ओडिशा
18	ओडिशा खजूरी गुड	खाद्य सामग्री	ओडिशा
19	ढेंकनाल मगजी	खाद्य सामग्री	ओडिशा
20	ओडिशा की सिमिलिपाल की चटनी	खाद्य सामग्री	ओडिशा
21	नयागढ़ कांतेइमुंडी बैंगन	कृषि	ओडिशा
22	कटक रूपा तारकासी (चांदी की महीन नक्काशी)	हस्तशिल्प	ओडिशा
23	कपाडगंडा : डुंगरिया कौंध कढ़ाई शॉल	हस्तशिल्प	ओडिशा
24	केंद्रपाड़ा रसबली	खाद्य सामग्री	ओडिशा
25	कोरापुट कलजीरा चावल	कृषि	ओडिशा
26	लांजिया की पेंटिंग सौरा (आईडीआईटीएएल), ओडिशा	हस्तशिल्प	ओडिशा

श्री शुभाशीष खुंटिया द्वारा "ओडिशा से किए जाने वाले निर्यात को बढ़ावा देना" के संबंध में पूछे गए दिनांक 19.12.2025 को उत्तर के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *215 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

अनुलग्नक-III

ओडिशा राज्य में जिला निर्यात केंद्र पहल (डीईएच) के तहत **पहचाने गए** उत्पादों/सेवाओं का विवरण

क्र.सं.	ओडिशा का जिला	डीईएच के अंतर्गत चिन्हित उत्पाद/सेवाएँ
1.	अंगुल	एल्युमिनियम इंगोट, स्टील इंगोटस
2.	बलांगीर	कपास, प्याज
3.	बालासोर	टायर, पेपर और कोरूगेटेड बक्से
4.	बारगढ़	हथकरघा
5.	भद्रक	चावल, मछली
6.	बौध	हथकरघा पट्टा साड़ी
7.	कटक	चांदी के महीन सामान, मणियाबांधा के हथकरघा
8.	देवगढ़	तरबूज, संतरा, लीची
9.	ढेंकनाल	हस्तशिल्प, काजू
10.	गजपति	चावल, काजू की गिरी, ग्रेनाइट स्लैब, हल्दी का तेल
11.	गंजम	गंजम केवड़ा रूह , गंजम केवड़ा फूल, हथकरघा, काजू, ग्रेनाइट स्लैब
12.	जाजपुर	पत्थर की नक्काशी / हस्तशिल्प
13.	जगत्सिंहपुर	प्लास्टिक उत्पाद
14.	झारसुगुडा	एल्युमिनियम इंगोट, मिर्च और अदरक
15.	कालाहांडी	हस्तशिल्प (लकड़ी की नक्काशी)
16.	कंधमाल	कंधमाल हल्दी, हल्दी
17.	केंद्रपाड़ा	सुनहरी घास उत्पाद
18.	केंदुझार	खनिज पदार्थ
19.	खोरधा (भुवनेश्वर)	समुद्री उत्पाद
20.	कोरापुट	काजू
21.	मल्कानगिरी	ग्रेनाइट स्लैब, हल्दी, बाजरा, प्रोसेस्ड मछली
22.	मयूरभंज	चावल
23.	नबरंगपुर	मक्का
24.	नयागढ़	पीतल और बेल धातु
25.	नुआपाड़ा	कपास, प्याज
26.	पुरी	पिपली एप्लिक वर्क, हस्तशिल्प (पट्टचित्र) और समुद्री उत्पाद
27.	रायगढ़	कपास इमली
28.	संबलपुर	संबलपुरी बंध साड़ी और कपड़े एल्युमिनियम इंगोट और मिर्च
29.	सुबरनपुर	बोम्केई साड़ी और कपड़े (जीआईटैग)
30.	सुंदरगढ़ (राउरकेला)	रीफरैक्ट्री सीमेंट
